न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।
पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)
ID No-UP 5743
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–321/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–2294/2026
(CNR UPLP 01004994 2026)

कासिम आयु लगभग 66 वर्ष पुत्र नसरूल्ला उर्फ नसीर उल्ला निवासी मो0 बरबर, थाना पसगवां, जनपद लखीमपुर खीरी।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....अभियोगी।

मु0अ0सं0 406/2018
धारा 5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11(1) पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 147, 323, 504, 506 भा0द0सं0
थाना मोहम्मदी, जिला–खीरी।

20.07.2026

1– अग्रिम जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' उपस्थित।

2– आवेदक कासिम की ओर से मु0अ0सं0 406/2018 धारा 5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11(1) पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 147, 323, 504, 506 भा0द0सं0थाना मोहम्मदी, जिला खीरी में अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– संक्षिप्त अभियोजन कथनानुसार वादी मुकदमा मनोज ने संबंधित थाने पर प्रथम सूचना इस आशय की दर्ज करायी कि घटना दिनांक 13.07.2018 समय करीव 11.00 बजे दिन की है वादी बरूआघाट पर था तभी मेनूर, सायनूर व बबलू पुत्रगण सकरूल्ला व पिस्सू पुत्र नवी अहमद लईक व बब्बन पुत्रगण मलहन, मजने पुत्र सफी नि० मोह० बरबर थाना पसगवां जिला लखीमपुर खीरी जोकि तीन गाय बध हेतु जंगल की ओर ले जा रहे थे तभी वादी ने अभियुक्तगण से कहा कि यह गाय कहां ले जा रहे हो तब अभियुक्तगण ने कहा कि हम वध करने के लिए ले जा रहे है। तव वादी ने मना किया तो अभियुक्तगण उसको मारने पीटने लगे। वादी के साथ विनोद पुत्र परसराम नि० सरैया विलियम थाना मोहम्मदी ने बचाने का प्रयास किया तो विनोद को भी मारा पीटा तब शोर सराबे से गांव के प्रधान को सूचना दी तव गांव के प्रधान व गांव के संभ्रान्त व्यक्ति मौके पर आ गये तब अभियुक्त के

पास तीन गाय व मोटर साइकिल जिसका न० यू०पी० 30 जेड० 7053 स्पलेन्डर व डिसकवर यू०पी० 31 ए०बी० 0626 व प्लेटीना यू०पी० 31 ए०ए० 0756 तथा मौके पर कासिम पुत्र नसरूल्ला व सफीउल्ला पुत्र अज्ञात नि० बस्बर थाना पसगवा गाव वालों के सहयोग से मौके पर पकडे गये तथा पकड़ी गयी गाय प्रधान के सरक्षण में है तथा शेष मुल्जिम भागने सफल रहे। सभी मुल्जिमानों को गांव वालों ने भली भाति पहचान लिया तथा मौके पर उपरोक्त मोटर साइकिल भी छोडकर भाग गये जिनको चौकी अमीरनगर में सुपुर्द कर दी गयी तथा पकडे गये मुल्जिम थाना मोहम्मदी को लाया हूं तथा मुल्जिमानों ने यह भी धमकी दी कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की तो जलाकर राख कर देगे तथा गालियां देते हुए व जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

4— प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक के तर्को को सुना तथा सुसंगत प्रपत्रो का परिशीलन किया।

5— प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए तर्क किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष व निरपराध है उसने कोई अपराध नही किया है उसे रंजिशन झूठा फसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने पत्रावली का मुआयना करवाया तो पता चला कि उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा वारण्ट जारी हो चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही हुयी है चुनावी रंजिश के कारण उसे फसाया गया है। मामले मे कोई गोवध नही हुआ है न ही मांस व खाल बरामद हुयी है। मामले मे जो गवाह दिखाए गए है वे वादी के परिवार के व ग्राम प्रधान है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी की गिरफ्तारी की प्रबल सम्भावना है। प्रार्थी/ अभियुक्त के न्याय से भागने की कोई सम्भावना नहीं हैं। प्रार्थी/ अभियुक्त अग्रिम जमानत देने को तैयार है। अग्रिम जमानत पर मुक्त होने के बाद वह अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नही करेगा और अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

6— जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा अग्रिम जमानत

प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7— माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा CRIMINAL MISC ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 438 CR.P.C. No 10145 of 2023 Iddu And 4 Others VR State Of U.P. And 2 Others निर्णय दिनांक 18—09—2023 के प्रस्तर—15 मे यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत के पीछे विधायिका का उद्देश्य झूठे अभियोजन के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। अग्रिम जमानत का उपचार वही प्रदान किया जा सकता है, जहां आवेदक /अभियुक्त की प्रश्नगत मामले मे संलिप्तता हेतु, लेस मात्र का भी साक्ष्य न हो।

8— प्रश्नगत प्रकरण मे विवेचनोपरांत प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिसका प्रथम दृष्टया तात्पर्य यही है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग चलाए जाने हेतु साक्ष्य प्राप्त हो चुका है। यह साक्ष्य विश्वसनीय है अथवा नही, यह तथ्य विचारण मे ही देखा जा सकता है, जिससे इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त की प्रश्नगत मामले मे संलिप्तता से इंकार नही किया जा सकता है। मामले मे तीन व्यक्तियो को चोटे भी कारित हुयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी ठोस तथ्य एवं आधार पर आधारित नही पाया जाता है, आदि के दृष्टिगत मामले के गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का कोई पर्याप्त आधार नही पाता हूँ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त कासिम द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
खीमपुर—खीरी।

दिनांक—20.07.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.21 11:11:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court